No.F.20/13/2013/AC/USFA \ S2 - 71 GOVERNMENT OF NCT OF DELHI FINANCE (ACCOUNTS) DEPARTMENT 'A' WING, 4th Level, Delhi Secretariat I.P.Estate, New Delhi.

Delhi: 19.03.2014

ENDORSEMENT

The copies of the under mentioned papers are forward herewith for necessary action and strict compliance to the following:

- 1. All Pr. Secretaries/Secretaries/Special/Addl./Joint Secretaries/Deputy Secretaries/Under Secretaries of GNCT of Delhi.
- 2. All Head of Departments, GNCT of Delhi.
- 3. All Heads of Autonomous Bodies, Govt. of NCT of Delhi
- 4. Commissioner, MCD (North, East & South), Town Hall, ChandiniChowk, Delhi.
- 5. Chairperson, NDMC, Palika Kendra, New Delhi
- 6. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board,
- 7. CEO, Delhi Urban Shelter Improvement Board, IP Estate, New Delhi.
- 8. Guard file
- 9. Website of Finance Department.

[T.ALOSYOUS] Under Secretary (Finance-A/cs)

List of paper forwarded

S.No.	Name of the Ministry	Notification No. & Date	Subject	
1.	GOI, Ministry of Personnel, Public	No.13026/4/2012- Estt(L) dated 18.02.2014	Central Civil (Leave) Amendments 2013.	Servcies Fourth Rules,

11 0 MAR 2014

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18 February, 2014 2014 109 76

G.S.R. Q((c)) In exercise of the powers conferred by the proviso to artice 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:-

- (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Fourth Amendment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, in rule 53, in sub-rule (4), -
 - (a) in Forms 7 and 8, after para 4, the following para shall respectively, be inserted, namely:-

"NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN COBLIGATION IS THAT the period of my bond mandating putting in service for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by me, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by me during the currency of the bond period."

(b) in Forms 9 and 10, after para 5, the following para shall respectively, be inserted, namely:-

"NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT the period of bond, mandating putting in service by the Obligor for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by him or her, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by him or her during the currency of the bond period."

[F. No. 13026/4/2012-Estt(L)]

Joint Secretary to the Government of India

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.O. 940 dated the 8th April, 1972 and were last amended vide number G.S.R. 283(E), dated the 4th April, 2012

P

10.03.14

NO S

SSC V

USF(Mes)

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per the standard mailing list)

Copy forwarded to:

- 1. Office of the Comptroller and Auditor General of India/ Controller General of Accounts, Ministry of Finance.
- Secretaries/ Union Public Service Commission/ Supreme Court of India/ Election Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Sectt./ Cabinet Sectt./ Central Vigilance Commission/ President's Sectt./ Vice President's Sectt./ Prime Minister's Office/ Planning Commission/ Central Information Commission.
- 3. Additional Secretary (Union Territory) Ministry of Home Affairs.
- \4. All State Governments & Union Territories.
- 5. Governors of all States/Lt. Governors/Administrators of Union Territories.
- 6. Secretary National Council (Staff Side), 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
- 7. All Members of Staff Side of the National Council of Departmental Council.
- 8. All attached/subordinate offices and desk/ section Officers of MHA including Rehabilitation Wing.
- All Officers/ Sections of DoPT/DARPG/Deptt. of Pension & Pensioners' Welfare.
- 10. Department of Official Language (Legislative Department)
- 11. Railway Board, New Delhi
- 12. NIC, DoPT for uploading on the website of the Ministry.

(Mukul Ratra) Director (L&A)

FORM 7 [See Rule 53 (4)]

BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT IN PERMANENT EMPLOY, WHEN PROCEEDING ON STUDY LEAVE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I, resident of
President of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") on demand the government of India (hereinafter called "the Government") of India (hereinafter called "the Gove
(Rs
WHEREAS I, am granted study leave by Government.
AND WHEREAS for the better protection of the Government I have agreed to execute this Bond with such condition as hereunder is written:
NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT in the event of my failing to resume duty, or resigning or retiring from service or otherwise quitting service without returning to duty after the expiry or termination of the period of study leave or failing to complete the course of study or at any time within a period of three years/five years after my return to duty, I shall forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government, on demand the said sum of Rs
NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT the period of my bond mandating putting in service for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by me, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by me, during the currency of the bond period.
AND upon my making such payment, the above written obligations shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in full force and virtue.
The Bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate Courts of India.
Signed and dated this day of two thousand and
Signed and delivered by
In the presence of Witnesses: I
ACCEPTED for and on behalf of the President of
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Explanation: The term 'currency of bond' means the period during which the liability of the Government servant is activated and the right of the Government is alive to claim the obligation.

FORM 8 [See Rule 53(4)]

BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT IN PERMANENT EMPLOY, WHEN GRANTED EXTENSION OF STUDY LEAVE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I, resident of
WHEREAS I,
AND WHEREAS the extension of study leave has been granted to me at my request until
AND WHEREAS for the better protection of the Government I have agreed to execute this Bond with such conditions as hereunder are written.
NOW, THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT in the event of my failing to resume duty, or resigning or retiring from service or otherwise quitting service without returning to duty after the expiry or termination of the period of study eave so extended or failing to complete the course of study or at any time within a period of three years/five years after my return to duty, I shall forthwith pny to the Government or as may be directed by the Government, on demand the said sum of Rs
NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT the period of my bond mandating putting in service for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by me, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by me, during the currency of the bond period.
AND upon my making such payments, the above written obligations shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in full force and virtue.
The Bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in orce and the rights and liabilities hereunder shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate Courts in India.
Signed and dated this day oftwo thousand
Igned and delivered by
n the presence of

ACCEPTED for and on behalf of the President of India

Explanation: The 'currency of bond' means the period during which the liability of the Government servant is activated and right of the Government is alive to claim the predetermined and stipulated amounts from the Government servant who fails to discharge his obligation.

FORM 9 [See Rule 53(4)] BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT NOT IN PERMANENT EMPLOY, WHEN PROCEEDING ON STUDY LEAVE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT WE,
WHEREAS the Obligor is granted study leave by the Government:
AND WHEREAS for the better protection of the Government, the Obligor has agreed to execute this Bond with such condition as hereunder is written:
AND WHEREAS the said Sureties have agreed to execute this Bond as Sureties on behalf of the above bounden
NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATIONS IS THAT in the event of the Obligor Shri/Shrimati/ Kumari
NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT the period of bond, mandating putting in service by the Obligor for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by him or her, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by him or her during the currency of the bond period.
AND upon the Obligor Shri/Shrimati/Kumari
PROVIDED ALWAYS that the liability of the Sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted or by any forbearance, act or omission of the Government or any person authorized by them (whether with or without the consent or knowledge of the Sureties) nor shall it be necessary, for the Government to sue the Obligor before suing the Sureties Shri/Shrimati/ Kumari
The Bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall where necessary be accordingly determined by the appropriate Courts in India.
Signed and dated thisday oftwo thousand and
Signed and delivered by the Obligor
Above named Shri/Shrimati/ Kumari
In the presence of

FORM 10 [See Rule 53(4)]

BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT NOT IN PERMANENT EMPLOY, WHEN GRANTED EXTENSION OF STUDY LEAVE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT WE, resident of in the District of at present employed as in the Ministry/Office of the Collegor") and Shri/Shrimati/Kumari. son/daughter of of and Shri/Shrimati/Kumari. son/daughter of of the Government of the Sureties") do hereby jointly are severally bind ourselves and our respective heirs, executors and administrators to pay to the President of India (hereinafter called "the Government") on demand the sum of Rs
WHEREAS the Obligor was granted study leave by the Government from the perior from to in consideration of which he executed a Bond, dated, for Rs
AND WHEREAS the extension of study leave has been granted to the Obligor at hi
AND WHEREAS for the better protection of the Government the Obligor has agreed to execute this Bond with such condition as hereunder is written:
AND WHEREAS the said Sureties have agreed to execute this Bond as Sureties of behalf of the above bounden
NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT in the event of the Obligor Shri/Shrimati/Kumari
NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATIONS IS THAT the period of bond, mandating putting in service by the Obligor for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by him or her, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by him or her, during the currency of the bond period.
AND upon the Obligor Shri/Shrimati/Kumari and, or Shri/Shrimati/Kumari and, or Shri/Shrimati/Kumari the Sureties aforesaid making such payment the above written obligation shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in full force and virtue:
PROVIDED ALWAYS that the liability of the Sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted or by any forbearance, act or omission of the Government or any person authorized by them (whether with or without the consent or knowledge of the Sureties) nor shall it be necessary, for the Government to sue the Obligor before suing the Sureties Shri/Shrimati/Kumari
The Bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall where necessary be accordingly determined by the appropriate Courts in India.

Signed and delivered by the Obligor
Above named Shri/Shrimati/ Kumari
In the presence of
Witnesses: 1
2
•
Signed and delivered by the Obligor
Above named Shri/Shrimati/ Kumari
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
In the presence of
Witnesses: 1

ACCEPTED for and on behalf of the President of India

Explanation: The term 'currency of bond' means the period during which the liability of the Government servant is activated and the right of the Government is alive to claim the predetermined and stipulated amounts from the Government servant who fails to discharge his obligation.

Signed and dated this day of	two thousand and
Signed and delivered by the Obligor above named Shri/Shrimati/Kumari	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
In the presence of	
2	
Signed and delivered by the Obligor above named Shri/Shrimati/Kumari	
In the presence of	
Witnesses: 1	
2	
Signed and delivered by the Obligor above named Shri/Shrimati/Kumari	
In the presence of	
Witnesses: 1	
2	

ACCEPTED for and on behalf of the President of India

Explanation: The term 'currency of bond' means the period during which the liability of the Government servant is activated and the right of the Government is alive to claim the predetermined and stipulated amounts from the Government servant who fails to discharge his obligation.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारतं सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिस्चना

नई दिल्ली, \ 8 फरवरी, 2014

सा.का.नि. ५६६) संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

- 1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2013 है।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुटी) नियमावली, 1972 के नियम 53, उप-नियम (4) में,
 - (क) पैरा 4 के पश्चात फार्म 7 और 8 में क्रमशः निम्नितिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"अब उपर्युक्त लिखित बाध्यता की शर्त है कि मेरे बांड की अविध उपर्युक्त उल्लिखित अविध के लिए सेवा में अधिदेश के द्वारा मेरे द्वारा ली गई अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के उपरांत मुद्रा बांड की अविध के दौरान मेरे द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अविध के समतुल्य, तुलनीय अविध के द्वारा विस्तारित की जाएगी।"

(ख) पैरा 5 के पश्चात फार्म 9 तथा 10 में क्रमशः निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थातः-

"अब उपर्युक्त लिखित बाध्यता की शर्त है कि बांड की अविध उपर्युक्त उल्लिखित अविध के लिए, छुट्टी लेने वाले के द्वारा ली गई अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के उपरांत, उपकृत करने वाले के द्वारा सेवा में अधिदेश से मुद्रा बांड की अविध के दौरान उसके द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अविध के समतुल्य, तुलनीय अविध के द्वारा विस्तारित की जाएगी।"

(फा.सं. 13026/4/2012-स्था (छु.))

(ममता कुंद्रा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रमुख नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 8 अप्रैल, 1972 के का.आ. 940 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 4 अप्रैल, 2012 को सा.का.िन. संख्या 280(ई) के द्वारा इनमें अंतिम संशोधन किया गया था।

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक प्रेषण सूची के अनुसार)

सं. 13026/4/2012-स्था.(छु.)

नई दिल्ली, दिनांक 18/02/2014

प्रतिलिपि प्रेषितः

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय/महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
- 2. सचिव/संघ लोक सेवा आयोग/सर्वोच्च न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/ राष्ट्रपति सचिवालय/ उपराष्ट्रपति सचिवालय/ उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग।
- 3. अपर सचिव (यू.टी.) गृह मंत्रालय।
- 4. सभी राज्य सरकारें एवं संघ शासित क्षेत्र।
- 5. सभी राज्यों के राज्यपाल/उप राज्यपाल/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक।
- सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी फिरोजशाह रोइ, नई दिल्ली।
- 7. विभागीय परिषद की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
- 8. पुनर्वास शाखा सहित गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय एवं डेस्क/अनुभाग अधिकारी।
- 9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत/पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
- 10. राजभाषा खंड (विधायी विभाग)
- 11. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
- 12. एन.आई.सी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय की बेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

्रिकुल रात्रा) निदेशक (छु. एंड भ्र.)

फॉर्म-7

[नियम 53(4) देखें]

अध्ययन अवकाश पर जाते समय किसी सरकारी सेवक, जी स्थायी कर्मचारी है, द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र

में	एतद्वारा	सूचित	करता	हूं	कि
में	निवासी	***************************************	जिला	*************	वर्तमान
	मंत्रालय/कार्यालय				
स्वयं की एवं अ	पने वारिसों, निष्पादको	i और प्रशासकों ।	की ओर से यह व	वचन देता हूं	कि भारत
	जेन्हें इसके बाद 'स				
	केवल) की राशि का				
	ाब तक के ब्याज सहि				
	ो उक्त राशि का उस				
	त मुद्रा में, सरकार द्				
	व की सभी लागतों सी				

चूंकि मुझे..... सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है।

और चूंकि, सरकार की बेहतर सुरक्षा हेतु, मैंने इस शर्त पर जैसा कि नींचे लिखा गया है इस बंधपत्र को निष्पादित करने की सहमति दी है :

अब, इसकी उपर्युक्तिलिखित बाध्यताओं के लिए पुनः यह शर्त है कि ऊपर निर्दिष्ट अविध के लिए सेवा में बाध्यकारी रूप से लाने की मेरे बंधपत्र की अविध को मेरे द्वारा लिए गए अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद बंधपत्र की अविध के दौरान मेरे द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अविध के समान तुलनात्मक अविध के लिए विस्तार प्रदान किया जाएगा।

और मेरे द्वारा इस राशि का भुगतान किए जाने पर उपर्युक्तलिखित बाध्यता समाप्त और निष्प्रभावी हो जाएगी, अन्यथा यह पूरी तरह से लागू एवं प्रभावी रहेगी ।

पर बयपत्र समा प्रकार स भारत के तत्कालीन प्रभावी	नियमों दवारा शासित होगा औ
इसके अधीन सभी अधिकार एवं बाध्यताएं, जहां भी अपेक्षित	हो. भारत में उत्तित नगणान
द्वारा तदनुसार निर्धारित की जाएंगी।	रत गरा ग अवत ग्यापालय
दो हजारकेके	केदिन को

द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द	
की उपस्थिति में	
गवाह: 1	
2	

स्वीकृत भारत के राष्ट्रपति के लिए और की तरफ से

स्पष्टीकरण: 'करेन्सी ऑफ बांड' शब्द का आशय है उस अविध के दौरान जिसमें सरकारी सेवंक की बाध्यताएं सिक्रिय की गई थी और अपनी बाध्यता का निष्पादन करने में असफल होने वाले सरकारी सेवंक से पूर्व निर्धारित राशि का दावा करने का सरकार का अधिकार प्रभावी है।

[नियम 53(4) देखें]

अध्ययन अवकाश का विस्तार प्रदान करते समय किसी सरकारी सेवक, जो स्थायी कर्मचारी है, दवारा निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र

. मैं .	एतद्वारा	ं सूचित	करता	हूं	कि
群	निवासी	•	. जिला		
में	मंत्रालय/कार्यालय	r में	के रूप	में कार्यरत हैं	ूँ, एत द् वारा
स्वयं की एवं अप	मने वारिसों, निष्पाद ्	कों और प्रशासको	की ओर से या	इ वचन देता (ूँ कि भारत
के राष्ट्रपति (वि	जेन्हें इसके बाद	'सरकार' कहा	जाएगा) को म	गि पेर	र.
(₹.	केवल) की राशि क	ा सरकारी ऋणों	पर लागू तत्कात	ीन सरकारी ट	रों पर मांग
की तारीख़ से अ	ब तक के ब्याज स	हित या यदि भु	गतान भारत से	बाहरं किसी 3	मन्य देश में
किया गया है तं	ो उक्त राशि का उ	स देश और भा	त के बीच के	शासकीय विनि	ामय दर के
अनुसार परिवर्तित	त मुद्रा में, सरकार	द्वारा वहन कि	ए गए अथवा वि	कए जाने वाले	वकील एवं
मुवक्किल के बीच	व की सभी लागतों र	सहित एक साथ	अदा करूंगा ।		
चूंकि मु	झे	सर	कार द्वारा यह	ध्यान में रख	व्रते हुए कि,
मेरे द्वारा	भारत के	राष्ट्रपति	के प्रति	दिनांक	का
₹	.(ं).	. केवल) का	बंधपत्र निष्प	गदित किया	गया है,
से.	तक अध्य	यन अवकाश प्रद	ान किया गया १	πι	•
		•			
और चूर्	के, मुझे मेरे अनुरो	ध पर	तंक के ति	ए अध्ययन	अवंकांश का
विस्तार प्रदान वि	भया गया है।				
 					-
, आर चूरि	के, सरकार की बेहत	र सुरक्षा हेतु, मैन	इस शते पर जे	सा कि नीचे व	लेखा गया है
रूप बंधापन को प	निष्णिय कार्चकी	पटमि ही है .			

अब, उपर्युक्तलिखित बाध्यताओं की शर्ते यह हैं कि, मेरे द्वारा कार्यभार न संभालने अथवा सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने अथवा अन्यथा अध्ययन अवकाश की अवधि के पूर्ण हो जाने या समाप्त किए जाने के पश्चात इयूटी पर वापस न आंते हुए सेंवा छोड़ने अथवा अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा न करने की स्थिति में अथवा इयूटी पर मेरे वापस आने के बाद तीन वर्षी/पांच वर्षी की अवधि के दौरान किसी भी समय, मैं सरकार को अथवा सरकार की मांग पर सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से ब्याज सहित का तत्काल भुगतान करंगा ।

अब, इसकी उपर्युक्तलिखित बाध्यताओं के लिए पुनः यह शर्त है कि ऊपर निर्दिष्ट अविधि के लिए सेवा में बाध्यकारी रुप से लाने की मेरे बंधपत्र की अविधि को मेरे दवारा लिए गए अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद बंधपत्र की अवधि के दौरान मेरे द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अवधि के समान तुलनात्मक अवधि के लिए विस्तार प्रदान किथा जाएगा ।

और मेरे द्वारा इस राशि का भुगतान किए जाने पर उपर्युक्त बाध्यता समाप्त और निष्प्रभावी हो जाएगी, अन्यथा यह पूरी तरह से लागू एवं प्रभावी रहेगी ।

यह बंधपत्र सभी प्रकार से भारत के तत्कालीन प्रभावी नियमों द्वारा शासित होगा और इसके अधीन सभी अधिकार एवं बाध्यताएं, जहां भी अपेक्षित हो, भारत में उचित न्यायालयों द्वारा तदनुसार निर्धारित की जाएंगी।

ं दो हजार	के	के	कि स
		***************************************	पुण का
•	•		

द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द			
र्व	ने उपस्थिति में		
गवाह : 1			
. 2			

स्वीकृत भारत के राष्ट्रपति के लिए और की तरफ से

स्पष्टीकरण: 'करेन्सी ऑफ बांड' शब्द का आशय है उस अविध के दौरान जिसमें सरकारी सेवक की बाध्यताएं सिक्रिय की गई थी और अपनी बाध्यता का निष्पादन करने में असफल होने वाले सरकारी सेवक से पूर्व निर्धारित राशि का दावा करने का सरकार का अधिकार प्रभावी है।

[नियम 53(4) देखें]

अध्ययन अवकाश पर जाते समय किसी सरकारी सेवक, जो स्थायी कर्मचारी नहीं है, द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र

मैं/हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमनिवासीनिवासी
जिलामंत्रालय/कार्यालय मेंके
रूप में कार्यरत (जिन्हें इसके बाद "बाध्यताधारी" कहा जाएगा) और
श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्रीऔर श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्रीपुत्र/पुत्री(जिन्हैं
इसके बाद "जमानतीं" कहा जाएगा) एतद्वारा अपनी/हमारी ओर से एवं मेरे/हमारे वारिसों,
विधिक प्रतिनिधियाँ, निष्पादकों और प्रशासकों की ओर से संयुक्त रूप से और पृथक रूप से यह
वचन देता हूं/देते हैं कि भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद 'सरकार' कहा जाएगा) को मांग
परर. ह. केवल) की राशि का सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन
सरकारी दरों पर मांग की तारीख से अब तक के ब्याज सहित या यदि भुगतान भारत से बाहर
किसी अन्य देश में किया गया है तो उक्त राशि का उस देश और भारत के बीच के शासकीय
विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित मुद्रा में, सरकार द्वारा वहन किए गए अथवा किए जाने
वाले वकील एवं मुवक्किल के बीच की सभी लागतों सहित एक साथ अदा करूंगा/करेंगे ।

सरकार द्वारा बाध्यताधारी को अध्ययन अवकाश प्रदान किए जाने की अवस्था में :

और जबिक सरकार की बेहतर सुरक्षा हेतु, बाध्यताधारी ने इस शर्त पर जैसा कि नीचे लिखा गया है इस बंधपत्र को निष्पादित करने की सहमति दी है :

जबिक उक्त जमानतियाँ द्वारा उपर्युक्त बाध्यताकारियाँ....... की ओर से जमानतियों के रूप में इस बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी है ।

इसके अलावा ऊपर लिखित बाध्यताओं के लिए पुनः शर्त है कि बंधपत्र की अविधे का, ऊपर निर्दिष्ट अविधे के लिए बाध्यताधारी की अनिवार्य सेवा अविधे के अलावा, उसके द्वारा ली गई अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के बाद बंधपत्र की अविधे के दौरान उसके द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अविधे के समान तुलनात्मक अविधे के लिए विस्तार प्रदान किया जाएगा।

श्री/श्रीमती/कुमारी	आर अथवा उपयुक्त जमानते गिमती/कुमारीद्वारा इस राशि प्टित और निष्प्रभावी हो जाएगी, अन्यथा यह
अन्य सहिष्णुता द्वारा या सरकार अथवा उ जमानतियों की सहमति या ज्ञान से हो या अन् निष्पादित नहीं होगी, यह भी आवा श्री/श्रीमती/कुमारी	राथा) द्वारा छोड़ देने के कारण क्षीण या श्यक नहीं होगा कि जमानतियों /कुमारीया उनमें से किसी से पहले बाध्यताधारी पर अभियोग चलाया
इसके अधीन सभी अधिकार एवं बाध्यताएं, जहां व द्वारा तंदनुसार निर्धारित की जाएंगी ।	
दो हजारकेके	दिन को
उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी	
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द	
की उपस्थिति में	
गवाह: 1	
2	
उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द	
की उपस्थिति में	
गवाह : 1	
2	
उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी	•
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपूर्द	
गताइ 1	
गवाह : 1	
2	
	•
	स्वींकृत
	भारत के राष्ट्रपति के लिए
स्पष्टीकरणः 'करेन्सी ऑफ बंधपत्र' शब्द का आंशय	और की तरफ से
सेवक की बाध्यताएं सक्रिय की गई थी और अपनी	बाध्यता का निष्णास्य करने के
होने वाले सरकारी सेवक से पूर्व निर्धारित राशि का द	ावा करने का समस्या च्या अस्पर्वत
<u>†</u>	रंग ना तरफार का अधिकार प्रभावी

फॉर्म-10

[नियम 53(4) देखें]

अध्ययन अवकाश का विस्तार प्रदान करते समय किसी सरकारी सेवक, जो स्थायी कर्मचारी नहीं है, द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र

	मैं/हम	एतद्वारा	सूचित	करते	8	कि	
हम		निवासी		जिला	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.वर्तमान	
में	मंत्रा	लय/कार्यालय में	**************	के रूप में	कार्यरत (जिन	हैं इसके	
बाद	"बाध्यताधारी"	कहा . जाएगा)	और	श्री/श्रीमती/कुमा	ti		
पुत्र/पुत्री		और	श्री	/श्रीमती/कुमार			
		(जिन्हें					
अपनी/ह	हमारी ओर से एवं	ं मेरे/हमारे वारिसों,	विधिक प्रतिनि	नेधियों, निष्पाट	कों और प्रशा	संकों की	
		और पृथक रूप से					
		कार' कहा जाएगा)					
केवल) की राशि का सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से अब							
तक के ब्याज सहित या यदि भुगतान भारत से बाहर किसी अन्य देश में किया गया है तो							
		और भारत के बी					
मुद्रा में, सरकार द्वारा बहन किए गए अथवा किए जाने वाले वकील एवं मुवक्किल के बीच							
की सभ	ो लागतों संहित प	रक साथ अदा करूंग	ग/करेंगे ।		-		
		•					
		ाध्यताधारी को					
		यान में रखते हु -					
_		₹(······································	.रं. कवल्) व	न बधपत्र	मण्पादत	
किया ग	ાવા	•		•			
के लिए	और जबिक बाध बढ़ाया गया ।	यताधारी के अध्यय	न अवकाश को	उसके अनुरोध	पर	तक	
लिखाः	और जबकि सरव गया है इस बंधपः	कार की बेहतर सुर्ह न को निष्पादित कर	ता हेतु, बाध्यत ने की सहमति	गधारी ने इस । दी है :	शर्त पर जैसा	कि नीचे	
	जबिक उक्त जर	नानतियां द्वारा उप	र्युक्तः बाध्यताक	गरियों	ः की	ं ओर से	
जन्म ।	तथा क रूप म इ	स बंधपत्र पर हस्ताः	क्षर करन का र	महमात दा ह।		•	
	अब, उपर्युक्त	लिखित बाध्य	ताओं की	शर्ते यह है	ं कि बाई	यमधारी	
श्री/श्रीम	ती/कुम नी ,	द्वारा क	गर्यभार न संभ	 लिने अथवा से	ा से त्यागणः	स्टेंबे ग	
कार्यअव	वधि पूर्ण होने के	पश्चात इयूटी पर	वापस न अ	ातें हुए सेवा ह	प्रोडने या अध	ययन के	
पाठ्यक्र	न्म को पूरा न	करने की स्थिति	में या उसके	डयटी पर वाप	स आने के व	बाट नीन	
वर्षी/पां	च वर्षों की अवधि	वे के दौरान किसी	भी समय, बा	्याताधारी और	जमानती सं	रकार की	
मांग प	ार सरकारीं ऋणों	पर लागू तत्कालीन	। सरकारी दरों	पर मांग की व	तारीख से ब्या	ज सहित	
उक्त र	5	(रु. केवलं) की	राशि का तत्क	ाल भुगतान व	र्रंगे।	
	इसके अलावा ऊ	पर तिखित बाध्यत	1ओं के लिए प	नः शर्त है कि	बंधपत्र की भ	विधि का	
ऊपर वि	नेर्दिष्ट अवधि के	लिए बाध्यताधारी व	की अनिवार्य से	, वा अवधि के 3	नलावा, उसके	दवारा ली	
जपर निर्दिष्ट अविध के लिए बाध्यताधारी की अनिवार्य सेवा अविध के अलावा, उसके द्वारा ली गई अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के बाद बंधपत्र की अविध के दौरान उसके द्वारा ली गई किसी							

जाएगा ।

भी प्रकार की छुट्टी की कुल अवधि के समान तुलनात्मक अवधि के लिए विस्तार प्रदान किया

और बाध्यताधारी श्री/श्रीमती/कुमारीऔर अथवा उपर्युक्त जमानती
श्री/श्रीमती/कुमारीव्वारा इस राशि
का भुगतान किए जाने पर उपर्युक्त बाध्यता समाप्त और निष्प्रभावी हो जाएगी, अन्यथा यह
पूरी तरह से लागू एवं प्रभावी रहेगी ।
सर्वदा बशर्ते कि इसके अधीन जमानतियों की देयताएं, समयावधि प्रदान करने या किसी
अन्य सिहष्णुता द्वारा या सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति (चाहे
जमानतियों की सहमति या ज्ञान से हो या अन्यथा) द्वारा छोड़ देने के कारण क्षीण या
निष्पादित नहीं होगी, यह भी आवश्यक नहीं होगा कि जमानतियों
श्री/श्रीमती/कुमारीया उनमें से किसी
एक पर इसके अधीन राशि हेतु अभियोग चलाने से पहले बाध्यताधारी पर अभियोग चलाया
जाए ।
यह बंधपंत्र सभी प्रकार से भारत के तत्कालीन प्रभावी नियमों द्वारा शासित होगा और
इसके अधीन सभी अधिकार एवं बाध्यताएं, जहां भी अपेक्षित हो, भारत में उचित न्यायालयों
द्वारा तदनुसार निर्धारित की जाएंगी।
दो हजारकेकेकेदेन को
उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द
की उपस्थिति में
गवाह : 1
2
उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द
की उपस्थिति में
गवाह: 1
2
उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द
गवाह: 1
2

स्वीकृत भारत के राष्ट्रपति के लिए और की तरफ से

स्पष्टीकरणः 'करेन्सी ऑफ बंधपत्र' शब्द का आशय है उस अवधि के दौरान जिसमें सरकारी सेवंक की बाध्यताएं सिक्रय की गई थी और अपनी बाध्यता का निष्पादन करने में असफल होने वाले सरकारी सेवंक से पूर्व निर्धारित राशि का दावा करने का सरकार का अधिकार प्रभावी है।